आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।

P 47 17-02-23

आदेश

विविध वाद संख्या– 33/सन् 2022– 23

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

विजय कुमार सिंह .... प्रथम पक्ष

बनाम

राजेन्द्र साव वगैरह .... द्वितीय पक्ष

31-01-2023

विवादी भूमि का विवरण निम्नवत है:–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहद्दी
मझगांवा	35	564	0.10 ए0	उ0– नीज प्रथम पक्ष द0– प्लॉट सं0– 551 पू0– प्लॉट सं0– 551 प0– नीज प्रथम पक्ष
"	"	565	0.10 ए0	उ0– नीज प्रथम पक्ष द0– प्लॉट सं0– 551 पू0– नीज प्रथम पक्ष प0– प्लॉट सं0– 568, 571, 572

आवेदक 1. विजय कुमार सिंह पिता– अम्बिका सिंह, ग्राम+पो0– पचमो, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने 1. राजेन्द्र साव, 2. नन्दलाल साव, 3. महेन्द्र साव तीनो के पिता– स्व0 अर्जुन साव, 4. वकील प्रसाद पिता– रामनंदन साव, 5. इन्दल साव पिता– नन्दलाल साव, 6. केशो साव, 7. लक्ष्मण साव दोनो के

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे कार्र टि
1	2	

पिता— वंशी साव, 8. प्रवेश साव, 9. मनोज साव दोनो के पिता— शहदेव साव सभी ग्राम— मझिगांवा, पो0— पचमो, थना— हरिहरगंज, जिला— पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुनने से संतुष्ट होकर विवादी भूमि पर धारा— 144 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया कायम कर उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करते हुए वाद भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये (विपक्षी सं0— 01 से 05 तक को छोड़ कर)।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष ने निबंधित विक्रय पत्र सं0— 2115 दिनांक 01.04.2022 को विक्रेता नगीना देवी पति— स्व0 प्रसाद साव एवं लखिया देवी पति— स्व0 घुटुर साव से क्रय किये हैं तथा खरिदगी के तिथि से प्रथम पक्ष का दखल— कब्जा चला आ रहा है। प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रथम पक्ष के विक्रेता के पति के पूर्वज हैं तथा विक्रेता के पति के नाम से मांग पंजी II के पृष्ट सं0— 35/1 पर दर्ज है और सरकारी लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है। प्रथम पक्ष के विक्रेता के पति जबतक जीवित रहे तबतक उनका दखल— कब्जा रहा तथा उनके मरनोपरांत विक्रेता का दखल— कब्जा चला आ रहा है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि प्रश्नगत भूमि पर नगीना देवी एवं लखिया देवी कभी भी भूमि पर दाखिल— काबीज नहीं थी तथा नगीना देवी एवं लखिया देवी के विक्री के आधार पर प्रथम पक्ष के विजय कुमार सिंह का कभी भी दखल— कब्जा स्थापित नहीं हुआ और प्रथम पक्ष आधारहीन विक्रय पत्र के आधार पर इस वाद के भूमि के ऊपर अवैध रूप से द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0— 06 से 09 के शांतिपूर्ण दखल— कब्जा में विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। प्रश्नगत भूमि द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0— 06 से 09 तक का दावा हाल सर्वे खाता सं0— 35, प्लॉट सं0— 564, रकबा— 0.10 एकड़ भूमि पर है,जो साबिक

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवा टिप्प
1	2	
	खाता सं0— 27, प्लॉट सं0— 61 से बना है। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का शांतिपूर्ण दखल— कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार चला आ रहा है। हाल सर्वे खतियान के अभियुक्ति कॉलम में वर्ष 1980 से प्लॉट सं0— 564 के भूमि के ऊपर वंशी साव वो शहदेव साव वल्द महंग साव का दखल— कब्जा दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल— कब्जा था। साबिक खाता सं0— 27 साबिक प्लॉट सं0— 61 के खतियानी रैयत के कास्तकारी अधिकार को ग्राम— मझगांवा के भूतपूर्व जमीन्दार ने निलाम कर दिया था और निलामी प्रक्रिया के अनुसार साबिक खाता सं0— 27, साबिक प्लॉट सं0— 61 के अलावे अन्य प्लॉट को रामऔतार साव के द्वारा अर्जित किया गया था और वे अपने जीवनकाल तक दाखिल— काबिज रहे। उनके निधन के उपरांत वाद भूमि के ऊपर शंतन प्रसाद का सम्पूर्ण हक दखल— कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार स्थापित हुआ और निलामी प्रक्रिया के आधार पर वाद भूमि का जमाबंदी संधारित किया गया। शंतन प्रसाद सरकार को मालगुजारी देकर सरकारी लगान	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	रसीद प्राप्त करने लगे। साबिक खाता सं0— 27 के खतियानी रैयत के वंशज का इस वाद के भूमि से कभी कोई सरोकार नहीं रहा। शंतन प्रसाद ने साबिक खाता सं0— 27, साबिक प्लॉट सं0— 61, रकबा— 0.05 एकड़ भूमि के अलावे अन्य प्लॉट को निबंधित विक्रय पत्र के द्वारा वंशी साव एवं शहदेव साव दोनो के पिता— महंग साव के पक्ष में विक्री कर दिये, जिसके आधार पर क्रेता वंशी साव एवं शहदेव साव साबिक खाता सं0— 27, साबिक प्लॉट सं0— 61, रकबा— 0.05 एकड़ भूमि के अलावे विक्रय पत्र में वर्णित सभी प्लॉट पर शातिपूर्ण दखल— कब्जा में आए और नामांतरण के पश्चात जमाबंदी का संधारण हुआ और वंशी साव एवं शहदेव साव सरकार को मालगुजारी देकर सरकारी लगान रसीद प्राप्त करने लगे। जबतक वंशी साव जीवित रहे तबतक शहदेव साव के साथ शांतिपूर्ण दखल— कब्जा में रहे। वंशी साव के निधन के उपरांत उनके दो पुत्र लक्ष्मण साव एवं केशो साव (प्रतिवादी सं0— 6 एवं 7) का शांतिपूर्ण दखल— कब्जा स्थापित हुआ। द्वितीय पक्ष के प्रवेश साव एवं मनोज साव (प्रतिवादी —	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	

सं0— 8 एवं 9) क्रेता शहदेव साव के पुत्र हैं। शहदेव साव को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे यह प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0— 6 से 9 तक मकान का निमार्ण कर रहे हैं, जो डूर लेवल से अधिक निर्माण हो चुका है, जिसे प्रभावित करने के लिए प्रथम पक्ष के द्वारा निराधार दावा के आधार पर यह वाद लाया गया है।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन मे निबंधित विक्र पत्र सं0— 2115 दिनांक 02.04.2022 एवं लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल किए हैं।

द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निबंधित विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं लगान रसीद की छायाप्रति तथा निर्मित मकान का रंगिल फोटाग्राफ दाखिल किए हैं।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्ष के कारण पृच्छा एवं कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष द्वारा खाता सं0— 5, प्लॉट सं0— 564 एवं 565 पर वाद लाया गया है, जिसे निबंधित

(6)

...की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	विक्रय पत्र सं0— 2115 दिनांक 02.04.2022 से क्रय किया गया है। द्वितीय पक्ष का दावा है कि खाता सं0— 35, प्लॉट सं0— 564, कुल रकाबा— 0.05 एकड़ भूमि निबंधित विक्रय पत्र सं0— 12944 दिनाक 21.12.1988 से प्राप्त है, जिसका जमाबंदी संधारित होकर लगान निर्गत होते चला आ रहा है तथा बताया गया है कि 0.05 एकड़ भूमि के अंदर अर्धनिर्मित मकान है, जिसमें ईंट के दिवार पर फूस का छप्पर लगाकर निवास किया जाता है। उक्त 0.05 एकड़ कब्जे वाली भूमि को छोड़कर अन्य पक्षकार के द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष के 0.05 एकड़ खरिदगी भूमि पर दावा कि पूष्टि होती है। द्वितीय पक्ष के दावे वाली 0.05 एकड़ भूमि पर प्रथम पक्ष बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के स्थल पर बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न कर विधि— व्यवस्था भंग नहीं करेंगे। इस आशय के साथ ही वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित Sd/- 30/01/25 Sd/- 30/01/25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।	

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.30 15:35:56 +05:30
Location: 192.168.238.105